

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफएसएसए/2019/291

दिनांक:- 5-4-19

**—:आदेश:—**

निर्देशानुसार निम्नलिखित अधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को उनके नामों के सम्मुख अंकित स्थान/सभाग में निर्धारित अवधि तक खाद्य पदार्थों के नमूनीकरण/निरीक्षण का कार्य करेंगे -

क्र. सं.	एफएसओ नाम एवं पदस्थापन स्थान	कार्यव्यवस्थार्थ कार्यसम्पादन क्षेत्र/सभाग	कार्यसम्पादन अवधि
1	श्री सदीप अग्रवाल, केन्द्रीय दल	जोन भरतपुर	दिनांक 08 04 2019 से 15 04 2019 तक
2	श्री राजेश टिकर, एपीओ, मुख्यालय	जोन कोटा	दिनांक 22 04 2019 से 30 04 2019 तक
3	श्री विनोद कुमार शर्मा, केन्द्रीय दल	जोन जोधपुर	दिनांक 08 04 2019 से 15 04 2019 तक
4	श्री विशाल मित्तल, केन्द्रीय दल	जोन बीकानेर	दिनांक 22 04 2019 से 30 04 2019 तक
5	श्री मानु प्रताप सिंह गहलोत, केन्द्रीय दल	जोन अजमेर	दिनांक 08 04 2019 से 15 04 2019 तक
6	श्री राजेश अग्रवाल, केन्द्रीय दल	जोन सुरगपुर	दिनांक 22 04 2019 से 30 04 2019 तक

उपरोक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्राथमिकता के तौर पर उन जिलों में नमूनीकरण का कार्य किया जाये, जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी का पद रिक्त है अथवा जिले में मेले/प्रदर्शनी एवं अन्य आयोजन किया जा रहा है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रतिदिन किये गये नमूनीकरण/निरीक्षण की सूचना प्रतिदिन निर्धारित प्रेषण में निदेशालय की ईमेल आईडी [adch-rj@nic.in](mailto:adch-rj@nic.in) पर आवश्यक रूप से भेजा जाना सुनिश्चित करें।

आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं  
निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान, जयपुर।

दिनांक:- 5/4/19

क्रमांक. एफएसएसए/2019/291

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 01 निजी सचिव माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 02 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0, जयपुर।
- 03 अतिरिक्त निदेशक (ग्रा स्वा) मुख्यालय।
- 04 राज्य अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा), मुख्यालय।
- 05 सम्मस्त सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन राजस्थान।
- 06 सम्मस्त अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित खाद्य सुरक्षा अधिकारी को पर्याप्त मात्रा में पेपर रिलप व अन्य सामग्री तथा वाहन आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।
- 07 सम्बन्धित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को तुरन्त पालनार्थ।
- 08 प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र विभाग की वेबसाइट पर अपलोड एवं सम्बन्धित को ई-मेल किया जाना सुनिश्चित करें।
- 09 आदेश/रक्षित पत्रावली।

आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं  
निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान, जयपुर।